केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 03.01.2017

सीबीआई ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के कथित उल्लंघन के सन्दर्भ में मुम्बई की तीन प्राइवेट कम्पनी एवं तीन अन्यों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया

सीबीआई ने मुम्बई की नामित अदालत में मुम्बई की प्राइवेट कम्पनी व इसके दो तत्कालीन निदेशकों और एक अन्य प्राइवेट कम्पनी के तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 35, धारा 37 के साथ पठित विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 की धारा 3, 11 व 19 के सदृश्य विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 23, 25 के साथ पठित धारा 4, 6 व 13 के तहत आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने दिनांक 08.07.2015 को मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि मुम्बई की प्राइवेट कम्पनी, भारत एवं विश्व कि सामाजिक-आर्थिक व राजनैतिक मामलों के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए किताबों, रिपोर्टों, पम्पलेटों, जर्नल्स, बुलेटिन को प्रकाशित करने में संलग्न थी और सामाजिक जागरूकता बढ़ा रही थी। दो तत्कालीन निदेशक स्तंभ व समाचार पत्रों में लेख लिखते थे। ऐसा भी आरोप था कि स्तंभ लिखने वाले होते हुए, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अनुसरण में वे विदेशी सहायता को स्वीकार करने के लिए योग्य नही थे। लेकिन उन्होने कथित रूप से अपनी कम्पनी के नाम पर यू.एस.ए. स्थित फाउण्डेशन से 2,90,000 अमेरिकी डालर की विदेशी सहायता स्वीकार की तथा इस तरह से एफ.सी.आर. एक्ट की धाराओं का उल्लंघन किया। ऐसा आगे आरोप था कि उक्त प्राइवेट कम्पनी प्रकाशन में संलग्न थी एवं इस प्रकार उक्त कम्पनी और इसके प्रतिनिधि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी सहायता स्वीकार करने को अधिकृत नही थे। बिना किसी पूर्व अनुमति के यू.एस.ए. के फाउण्डेशन विदेशी सहायता प्राप्त कर उन्होने कथित रूप से एफ.सी.आर. एक्ट की धाराओं का उल्लंघन किया। उक्त कम्पनी ने विदेशी सहायता की प्राप्ति करने पर अलग से बैंक खाता नही तैयार किया।

गहन जॉच के पश्चात, सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया। गृह मंत्रालय (भारत सरकार) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया।

ए.सी.एम.एम. अदालत, मुम्बई ने अपराधों का संज्ञान लिया व कार्यवाही जारी की और आरोपी व्यक्तियों को दिनांक 03.02.2017 को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्धारा की गयी जॉच व इसके द्धारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****